



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श10)

(सं0 पटना 357) पटना, वृहस्पतिवार, 10 जून 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

10 मार्च 2021

सं0 5 न0वि0/गठन-42/2020-1218/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ भागलपुर जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत नगर पंचायत नवगछिया का नगर परिषद् में उत्क्रमण, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4367 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद् में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :-

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम एवं थाना संख्या	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद् नवगछिया	पकड़ा-45 तेतरी-39 हरनाथचक (प्रखण्ड गोपालपुर के ग्राम पंचायत गोसाईगँव अन्तर्गत राजस्व ग्राम धरहरा-15 का अंश	पकड़ा (आंशिक भाग)	उत्तर-सिमाने मिल्की मौजा व प्रतापनगर-41 दक्षिण-मकन्दपुर चौक से दक्षिण आरा मील वाली खेसरा के दक्षिण -45 पूरब-सिमाने नगरह मौजा वो भवानीपुर मौजा वो घरहरा मौजा के अंश भाग-43/41 पश्चिम-एन0एच0-31 से सीधे जीरो माईल पुल रोड- 45	49069

2. इस क्षेत्र को नगर परिषद नवगछिया कहा जायेगा।
3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 357-571+200-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>